रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

# JIRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2008/चैत्र 12, 1930 No. 436] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2008/CHAITRA 12, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग )

### अधिसुचना

# नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2008

का.आ. 797(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के उसके स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणा		
राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	भूखंड किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
66	पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में पुडुचेरी-टिन्डीवनम सेक्शन	0.000 किमी. से 3.520 किमी. तक

[फा. सं. एनएच-14013/7/2007-पी एंड एम] प्रभाकर. उप-सचिव

# MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTELECCENON

New Delhi, the 1st April, 2008

S.O. 797(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) thereof, of the National Highway as specified in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE				
National Highway N	Section No.	Stretch in Kilometer		
(1)	(2)	(3)		
66	Puducherry-Tindivanam section	Km. 0.000 to Km. 3.520		
	In the Union territory of Puducherry			

[F. No, NH-14013/7/2007-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

# अधिसूचना

# नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2008

का.आ. 798(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 28 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

अनसची

क्रम	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार	
सं.		का नाम	
(1)	(2)	(3)	
"28	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45क का उतना भाग जो पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित है ।	पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सरकार ।"	

[फा. सं. एनएच-14013/7/2007-पी एंड एम] प्रभाकर, उप सचिव

टिप्पण :---मूल अधिसूचना का. आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित को गई थी और का. आ. 1861(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2007 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया।

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 1st April, 2008

S.O. 798(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S. O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

Sl. No.	Description of National Highway	Name of the State Govt.
(1)	(2)	(3)
"28	So much of National Highway No. 45A as is situated within the Union Territory of Puducherry.	Government of Union Territory of Puducherry."

SCHEDULE

[F. No. NH-14013/7/2007-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note:-The principal notification was published vide number S. O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S. O. 1861(E), dated 1st November, 2007.